उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्याः–2040–पें0एवंआर0–28/पाकालि/11 दिनांकः14 जूलाई, 2011

समस्त प्रबन्ध निदेशक डिस्काम, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/
मेरठ/केस्को/ट्रान्सको, लखनऊ।
समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/
ट्रांसको/डिस्काम्स, पूर्वांचल/पश्चिमॉचल/दक्षिणांचल/
मध्यांचल।

विषयः– पेंशन प्रपत्रों के समय पर प्रेषण के सम्बन्ध में।

विभिन्न स्तरों से यह तथ्य कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर नैवृत्तिक लाभ स्वीकृत करने हेतु उ0प्र0 कारपोरेशन लि0 पेंशन के मामलों का प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली–2001 जो कारपोरेशन के आदेश सं0–135–विनियम–23/पाकालि–2001–5–विनियम/09, दिनांक 20.07.2001 द्वारा परिचालित की गयी है, **के साथ संलग्न अनुसूची के बिन्दु 4 (क) के द्वारा पेंशन प्रपत्रों के भरे जाने की समय सीमा तथा कार्य के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है तथा** परिषद/कारपोरेशन के आदेश संख्या–623–पेंशन–31/राविप/97–49पी/89 दिनांक 21.05.1997 एवं आदेश संख्या–1347–पें0एवंआर0–28/पाकालि/2001–49पी/89 दिनांक 14.05.2001 के द्वारा **कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्त नोटिस के साथ पेंशन प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियॉ देकर व उनसे भरवाकर उनकी सेवानिवृत्त की तारीख से पहले उसकी आठ** महीने की सेवा अवधि के प्रथम मास में प्राप्त **कर लिये जाये, के आदेश भी निर्गत किये गये है परन्तु उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।**

अतः सह प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा **पेंशन प्रपत्रों में विलम्ब होने की दशा में बिलम्ब करने वाले कार्मिक/अधिकारी की वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिका में प्रविष्टि किये जाने** एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन हेतु भरे जाने वाले सभी प्रपत्रों को कारपोरेशन की वेब साइट पर उपलब्ध कराने तथा उपरोक्त **कारपोरेशन के निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश दिये गये है** जिससे पेंशनरी देयों की स्वीकृति एवं भुगतान ससमय से सुनिश्चित हो सके।

भवदीय,

(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या : 2040(1)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/11 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. कारपोरेशन मुख्यालय/केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन (मु0)/विस्तार स्थित समस्त लेखाधिकारी।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
3. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पा0का0लि0/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
4. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/डिस्काम/ट्रांसको/केस्को।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को तथा संलग्न पेंशन प्रपत्रों को उ0प्र0पा0का0लि0, की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमैण्ट/पेंशन/lalsir